

विक्रय पत्र

GC fes I -

- 1 सम्पत्ति का प्रकार : प्लॉट नम्बर --
- 2 वार्ड / परगना : मुजफ्फरनगर
- मौहल्ला / ग्राम / सेगमेन्ट : न्यु गोकुल सिटी
(रक्बा ग्राम शेरनगर)
- 4 क्षेत्र—ग्रामीण / नगरीय / अर्द्धनगरीय: अर्द्धनगरीय क्षेत्र
- 5 सम्पत्ति का विवरण :
(आवासीय / व्यवसायिक /
गोदाम / कृषि) : आवासीय
- 6 सम्पत्ति का क्षेत्रफल (भूमि) (वर्गमीटर / हैक्टेयर): — वर्गमीटर
- 7 सम्पत्ति की स्थिति(लैंक / जनपदीय / राज्य
/ राष्ट्रीय मार्ग / सेगमेन्ट) का नाम : कोई नहीं है।
- 8 कार्नर / दो / एक रास्ते का नाम : एक रास्ता
- 9 निकटतम नामित मार्ग का नाम व दूरी: कोई नहीं है।
10. (क) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल भूतल कोई नहीं है।
(ख) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल प्रथम तल कोई नहीं है।
(ग) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल द्वितीय तल कोई नहीं है।
11. निर्माण का प्रकार / श्रेणी कोई नहीं है।
12. पेडो का मूल्यांकन कोई नहीं है।
13. बोरिंग व अन्य कोई नहीं है।
14. निर्माण का वर्ष कोई नहीं है।
15. प्रतिफल / बाजार मूल्य :- ---- / —रुपये
16. दिया गया स्टाम्प शुल्क :- ---- / —रुपये
17. स्टाम्प देयता की गणना
हेतु प्रयुक्त दर :- 9,500 / —रुपये प्रति
वर्गमीटर
- दर से मालियत :- ---- / —रुपये
18. रेट लिस्ट का क्रमांक, पृष्ठ,
कोड सं०, कॉलम :- 0103, 4क, 34
19. चौहद्दी / सीमांकन :- पूरब :- ----
पश्चिम :- ----
उत्तर :- ----
दक्षिण :- ----
20. प्रथम पक्ष की संख्या व मोबाईल नं०:- 1 मो० न० 9758266666
21. द्वितीय पक्ष की संख्या व मोबाईल नं०:- 1 मो० न०
22. सम्पत्ति तक पहुँचने का रूट चार्ट
संलग्न है अथवा नहीं : हाँ।
23. लेखपत्र के साथ संलग्नक आवश्यक
प्रपत्रों / साक्ष्यों का विवरण : पहचान पत्र प्रथम पक्ष व द्वितीय
पक्ष की प्रतिलिपि व अन्य कागज
- 24:- विक्रेता जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है:-

न्यु गोकूल सिटी एण्टर प्राइजेज (L.L.P) (PAN-AATFN1658G) 1248 / 75 संतोष विहार सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर
द्वारा डेजीनेटिड पार्टनर गौरव काम्बोज पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार काम्बोज निवासी
मकान नम्बर 126 / 1 मौहल्ला प्रेमपुरी शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील
व जिला मुजफ्फरनगर। फर्म उक्त ने गौरव काम्बोज को अपना पार्टनर नियुक्त

किया हुआ है, और फर्म उक्त ने अपने निम्नलिखित प्लॉट को द्वारा प्रस्ताव दिनांक ----- ई0 के अनुसार विक्रय करने के लिये अधिकृत किया हुआ है।

25:- क्रेता जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है:-

----- (PAN NO-----) पुत्र श्री ----- निवासी ----- परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर।

जो कि प्रथम पक्ष उक्त फर्म के प्लॉट जिसका विवरण उक्त लिखित है और जो मौहल्ला गोकुल सिटी (रक्बा ग्राम शेरनगर) परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर के वाके है, का स्वामी द्वारा खरीद बैनामो से है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार आदि से स्वच्छ एंवम मुक्त है। द्वितीय पक्ष इस सम्पत्ति को खरीद रहा है। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की उक्त सम्पत्ति के लिये स्वामित्व के सम्बन्ध में अपनी हर प्रकार की तसल्ली कर ली है। अतः हर दो पक्ष अपनी समस्त इन्द्रियो व शरीर की स्वस्थ दशा में यह विक्रय पत्र लिखकर घोषित करते हैं कि प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति समस्त अधिकारो सहित न रखने बाकी किसी भी अधिकार के बाजार भाव के बदले अंकन -----/-रूपये कि आधे जिसके अंकन -----/- रूपये होते हैं द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दी है। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से समस्त विक्रय मूल्य द्वारा चैक नम्बर ----- प्राप्त कर लिया है। जरे कीमत में कुछ भी शेष नहीं रहा है। विक्रीत सम्पत्ति का कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मय जुमला हक व हकूक के अपने तुल्य सौंप दिया है। अब प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष का इस बेची गयी सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं रहा है, और न ही भविष्य में कोई वास्ता व ताल्लुक होगा अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या प्रथम पक्ष के किसी वारिस की किसी दावेदारी से या किसी कानूनी कमी के कारण या किसी अन्य कारण से यह बेची गयी सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जे में से निकल जावे या इस पर कब्जा प्रथम पक्ष के तुल्य न मिले तो ऐसी हर दशा में द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लेवे या वह अपना समस्त विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा व रिवाजी ब्याज सहित प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे। विक्रीत प्लॉट नम्बर खसरा चार सौ इक्कीस व चार सौ चौबीस व चार सौ छब्बीस ----- में स्थित है, इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष का हर प्रकार का उजर अमान्य होगा। गोकुल सिटी फ़ैस-— का लेआउट प्लान व मानचित्र तलपट संख्या 117/2022 दिनांक 21-05-2022 ई0 मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। विक्रीत सम्पत्ति सम्बन्धी आज से पूर्व की तमाम देनदारीया प्रथम पक्ष के जिम्मे होगी और आज से बाद की तमाम देनदारिया बजिम्मे द्वितीय पक्ष होगी। उक्त प्लॉट में मकान का निर्माण करते समय द्वितीय पक्ष इस बात का ध्यान रखे की मकान का प्लैन्थ लेवल व रैम्प अन्य मकानों की तरह समान रहेगा, और द्वितीय पक्ष रास्ते की तरफ छज्जे का अतिक्रमण नहीं करेगे, और क्रेता किसी भी सूरत में अपना प्लॉट/भवन पर कोई भी पशु नहीं रखेंगे अर्थात कालोनी में कोई भी क्रेता पशुपालन नहीं करेगे, जिससे कलोनी में गन्दगी पर रोक थाम लगी रहे। विक्रीत सम्पत्ति सम्बन्धी द्वितीय पक्ष से पहले कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा नहीं है। विक्रीत प्लॉट में मोके पर कोई निर्माण नहीं है। भविष्य में खरीदारो को समिति उक्त की मैम्बरशिप लेनी अनिवार्य होगी। विक्रीत सम्पत्ति के 50 मीटर की त्रिज्या में आवासीय सम्पत्ति है, और विक्रीत सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति चर्च मिशनरी व वफ़/ट्रस्ट की नहीं है।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है, कि सनद हो और समय पर काम आवे।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित न्यु गोकुल सिटी (रक्बा ग्राम शेरनगर) परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि एक किता आवासीय भूमि प्लॉट नम्बर --- पैमूदा पूरब --- मीटर, पश्चिम --- मीटर, उत्तर --- मीटर, दक्षिण --- मीटर, कुल क्षेत्रफली --- वर्गगज यानि --- वर्गमीटर है। घोषणा/प्रमाणक:- हम उभय पक्ष क्रेता एवं विक्रेता इस लेखपत्र के गवाह शपथ पूर्वक घोषित करते हैं कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का पूर्णरूपेन अनुपालन किया गया है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। निष्पादनकर्ता ने विक्रेता व क्रेता के बताये अनुसार दस्तावेज निष्पादित की है।

साक्षी-----

साक्षी-----

तहरीर ता0:- ----- ई0

डाफ्टकर्ता:-